न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–118/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कन्यादेवी पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी बेरा कानावा धंधेडी रोड, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली		1. अनोप पुत्र भैराराम 2. कान्ता पुत्री भैराराम 3. बुधाराम पुत्र रतनाराम 4. सुआदेवी पत्नी भैराराम तमाम जातियान राईका निवासीगण धनजी की ढीमडी जाने वाला रास्ता सोजत सिटी 5. भाकरराम पुत्र रतनाराम जाति राईका निवासी चांदपोल गेट के बाहर देवासियों का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत 6. भंवरलाल पुत्र जीवाराम जाति मालवीय लौहार, सोजत रोड 7. भूमि धाकर तहसीलदार सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. प्रतिवादी तहसीलदार तहसीलदार उपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक – 22/05/24

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडिया पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरीक्षक सोजत रोड तहसील सोजत खसरा नम्बर 100 कुल 01 कुल रकबा 1.5800 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 29.11.2022 प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने हेतु निवेदन किए जाने से दिनांक 11.10.2023 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/राजस्व /2024 /544 दिनांक 13.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वरतुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बासनी तिवाडियान, भू0अ0निरीक्षक सोजत रोड तहसील सोजत के खसरा नम्बर 100 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.5800 हैक्टर की हैक्टर की कृषि भूमि कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच

खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अनोप पुत्री भेराराम हिस्सा 1/3 कान्ता पुत्री भेराराम हि0 1/3 सुआदेवी पत्नी भेराराम हि0 1/3 कौम राईका सा0 सोजत खातेदार	495/100/3	0.3080	मेहन्दी	
		01	0.3080		
2.	कन्यादेवी पत्नी मदनलाल कौम माली सा0 सोजत खातेदार	495/100/1	0.1975	मेहन्दी	
		01	0.1975		
3.	बुधाराम पुत्र रतनाराम कौम राईका सा0 सोजत खातेदार	495/100/4	0.5133	मेहन्दी	
		01	0.5133		
4.	हेमन्त कुमार 1/3 दिनेश 1/3 मनोज 1/3 पिता भंवरलाल मालवीय लौहार सा. मैनरोड सोजत रोड	495/100/2	0.2054	मेहन्दी	
		01	0.2054	मेहन्दी	
5.	भाकरराम पुत्र रतनाराम कौम राईका सा. सोजत खातेदार	495/100	0.3158	मेहन्दी	
		01	0.3158		
6.	अनोप पुत्री भेराराम हि0 1/15 राईका सोजत , कन्यादेवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 5/39 जाति माली सा0 बेरा कनावा सोजत कान्ता पुत्री भेराराम हि0 1/15 राईका सोजत बुधाराम पुत्र रतनाराम हि0 1/3 राईका सोजत, हेमन्त कुमार 2/45 दिनेश 2/45 मनोज 2/45 पि0 भवरलाल जाति मालवीय लौहार मैन रोड सोजत रोड, भाकरराम पुत्र रतनाराम हि0 8/39 राईका सोजत सुआदेवी पत्नि भेराराम हि0 1/15 जाति राईका सा0 सोजत खातेदार	496/100	0.0400	गै0मु0 रास्ता	

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से मे दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)